न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 41/2020 (फोरलेन)

उनवान

1 श्री रतना गुर्जर पुत्र रायमल गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6–ए–1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. तहसीलदार सहाडा, तहसील सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।
4. डामा पिता हरिराम गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा।
5. देऊ पिता अमरा गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–3जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक फोरलेन/2014/प्रतिकर निर्धारण/14–15 दिनांक 01.08.2017

उपस्थित –

1 अधिवक्ता प्रार्थी– श्री हरदयाल वर्मा, लादूलाल गुर्जर।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी – श्री मुकुट बिहारी दाधिच, श्री गोविन्द मेवाड़ा।

निर्णय

दिनांक : 11 –06–2025

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3–जी–5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी व सह काश्तकार संख्या 4 से 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेयाबी की ग्राम गलोदिया तहसील–सहाडा की आराजी संख्या 639 रकबा 0.0241 हैक्टर व आराजी संख्या 641 रकबा 0.0020 हैक्टर कुल रकबा 0.0261 हैक्टर का 1/2 हिस्सा राजसमद से भीलवाड़ा सेक्शन फोरलेन हेतु अवाप्त की गयी। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 में खण्ड–क के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी गंगापुर को भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त कर अधिसूचना कमांक का0आ0/1813 (अ) दिनांक 14.08.2012 से प्राधिकृत किया गया। सक्षम अधिकारी ने धारा 3–क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनाक 14.02.2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होना बताई जाकर सर्वसाधारण की सूचना धारा 3–डी–1 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.03.2017 को प्रकाशित करवाई गई, जिसकी व्यक्तिगत तामील नहीं करा प्रार्थी की आराजी संख्या 639 रकबा 0.0241 हैक्टर, आराजी सख्या 641 रकबा 0.0020 हैक्टर कुल रकबा 0.0261 हैक्टर का 1/2 हिस्सा अवाप्त कर ली गयी है। प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही अधिनियम की धारा 3जी (1–2) के तहत् आपत्तियां आमन्त्रित करने का व्यक्तिगत नोटिस तामील कराये बिना ही अवार्ड संख्या 14–15 दिनांक 01.08.2017 जारी किया जो अवार्ड 972.34 अक्षरे नौ सौ

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जसमीत सिंह संधु
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा